कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।
मोहनपुर, पोस्ट–पचम्बा, जिला–गिरिडीह, पीन कोड–815316
email-dfo-giridiheast@gov.in, Phone No.-06532-222127

निलामी सूचना

सर्वसाधारण/निबंधित आरा मिल मालिकों एवं निबंधित प्रकाष्ठ डीपू मालिकों को सूचित किया जाता है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के अन्तर्गत अस्थायी वनागारों में विभिन्न प्रजातियों के प्रकाष्ठ/चिरान काष्ट आदि भंडारित है कि "जहाँ है जिस स्थिति में है" के आधार पर लॉटों की बिक्री हेतु आम निलामी के लिए तिथि निर्धारित की गई है जो निम्नवत है :–

क्र0सं0	वन प्रक्षेत्र का नाम	अस्थायी वनागार का नाम	निलामी की तिथि	निलामी का समय	लॉटों की सं0	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	खुरचुट्टा वन प्रक्षेत्र	वन विश्रामागार बेंगाबाद परिसर,	28.02.2026	02.30 अप0	1	

निलामी में सम्मिलित होने के लिए गेट मनी के रूप में 5000/–(पाँच हजार रूपये) नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के पदनाम से निर्गत एवं भारतीय स्टेट बैंक, गिरिडीह में भुगतेय हो समर्पित करना होगां

किसी भी दिन कार्यालय अवधि में संबंधित प्रक्षेत्र के अस्थायी वनागार जहाँ प्रकाष्ठ भंडारित है का निरीक्षण किया जा सकता है। प्रचय सूची निलामी के समय उपलब्ध होगी। अपरिहार्य कारणवश निलामी की निर्धारित तिथि में परिवर्तन भी की जा सकती है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

11/02/26

कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

मोहनपुर, पोस्ट–पचम्बा, जिला–गिरिडीह, पीन कोड–815316

email-dfo-giridiheast@gov.in, Phone No.-06532-222127

निलामी की शर्त्तें

1. निलामी में वैसे व्यक्ति भाग लेंगे जिनका जी0एस0टी0 में निबंधन कर लिया गया है।
2. निलामी में गेट मनी के रूप में 5000/–(पाँच हजार रूपये) नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट (जो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के पदनाम से निर्गत एवं गिरिडीह में भुगतेय) पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 निबंधन की छाया प्रति उपलब्ध कराने के पश्चात निलामी में भाग लेंगे।
3. सर्वोपरि बोली लगाने वाले व्यक्ति को निलामी में क्रय मूल्य का 20% राशि तुरन्त जमा करना अनिवार्य होगा। अवशेष राशि जो बैंकर्स चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करेंगे। जिसके संबंध में अलग से पत्र निर्गत कर सफल क्रेता को सूचना दी जायगी।
4. निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी भी दिन वन विश्रामागार बेंगाबाद परिसर में लॉटों का अवलोकन कर सकते हैं। लॉट विवरणी प्रमण्डलीय कार्यालय, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के सूचना पट् पर देखा जा सकता है।
5. लकड़ियों के क्रय मूल्य के अतिरिक्त अन्य कर (CGST, SGST तथा आयकर) क्रेता द्वारा अलग से जमा कर संबंधित प्रमाण–पत्र प्रमण्डलीय कार्यालय, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल में जमा करेंगे।
6. प्रमण्डलीय कार्यालय, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल द्वारा क्रेता से क्रय मूल्य एवं सेस की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त की जायगी।
7. निलामी में सर्वोपरी बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित अवधि तक शेष राशि जमा नहीं करने की स्थिति में पूर्व में जमा की गयी राशि को Forfeit कर लिया जायगा।
8. इस बिक्री से संबंधित कोई भी न्यायिक मामला झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में ही किया जा सकेगा।
9. निलामी की तिथि में परिवर्तन एवं रद्द करने की शक्ति वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल को होगा।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

11/02/21